भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भागलपुर

कोटेशन सूचना संख्या F/562/BSCL/..867.. दिनांक..07.. / 11 / 2022

–: कोटेशन आमंत्रण सूचना :–

भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भागलपुर के कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय कार्यों हेतु बाह्य स्त्रोत (Outsourcing) से Peon/Helper/Messenger इत्यादि की सेवा प्राप्त करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

कोटेशन के संबंध में विस्तृत विवरणी भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेबसाईट https://www.smartcitybhagalpur.org पर देखा जा सकता है। कोटेशन प्रबंध निदेशक, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम कैम्पस, कोर्ट कम्पाउण्ड, भागलपुर, बिहार, पिनकोड–812001 के पते पर दिनांक 15 / 11 / 2022 (मंगलवार) के 03:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा।

कार्य का विवरण:–

भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भागलपुर के कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय कार्यों हेतु बाह्य स्त्रोत (Outsourcing) से निम्न संख्या में Peon/Helper/Messenger इत्यादि की सेवा उपलब्ध कराना:–

क्र०सं०	कर्मी का पदनाम	कोटी	कर्मियों की संख्या
1	Peon/Helper/Messenger	अकुशल / कुशल	03

कोटेशन के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है :–

i. संस्था / फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
ii. संस्था / फर्म को GST निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
iii. संस्था / फर्म का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
iv. संस्था / फर्म को EPF एवं ESI निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
v. समान प्रकृति का कार्य अनुभव रखने वाले संस्था / फर्म को सरकारी / निजी संस्थानों में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र दिये जाने पर प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय शर्त्ते :–

i. कोटेशनदाता को न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से पारिश्रमिक, EPF, ESI एवं सेवा शुल्क सभी कर सहित समेकित रूप से प्रतिकर्मी मासिक दर अंकित करना होगा।
ii. वित्तीय कोटेशन में मासिक दर (सभी सेवा सहित) कोट करना होगा जिसमें कर्मियों का मासिक भुगतान चार्ट अंकित हो।
iii. संस्था / फर्म को किसी प्रकार से परिवहन व्यय एवं अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
iv. भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
v. कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जायेगी एवं एकरारनामा भी रद्द कर दिया जा सकता है।

अन्य शर्ते :–

i. संस्था/फर्म द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी कार्यालय में ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र के साथ रहेंगे। ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किये जाने में होने वाले व्यय राशि को संस्था/फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
ii. संस्था/फर्म द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी को भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किसी प्रकार का परिवहन व्यय इत्यादि भुगतान नहीं किया जायेगा।
iii. अगर कार्य के दौरान कोई कर्मी दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसके लिए भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जिम्मेवार नहीं होगा।
iv. संस्था/फर्म द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों का भुगतान उनके उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।
v. कोटेशन के शर्तों के अनुरूप चयनित संस्था/फर्म के साथ एक वर्ष के लिए एकरारनामा किया जायेगा। जिसे निर्धारित समय अवधि के पूर्व 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त करने का अधिकार भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सुरक्षित होगा।
vi. एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एकरारनामा की अवधि विस्तार किया जा सकता है।
vii. एकरारनामा अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य संस्था/फर्म से कार्य कराने का अधिकार भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सुरक्षित होगा।
viii. बिना कारण बताये कोटेशन को रद्द करने का अधिकार भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सुरक्षित होगा।

प्रबंध निदेशक,
भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड,
भागलपुर।